GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO.62
TO BE ANSWERED ON THE 8TH FEBRUARY, 2022

DEATH OF HEALTH WORKERS DUE TO COVID-19

62 SHRI DEREK O' BRIEN:

Will the Minister of **HEALTH AND FAMILY WELFARE** be pleased to state:

(a) the number of health workers in each State who have passed away due to COVID-19, disaggregated into doctors, nurses, ambulance drivers, paramedics, etc.; and

(b) the quantum of compensation paid to the families of deceased health workers in each State?

ANSWER
THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(DR MANSUKH MANDAVIYA)

(a) & (b) A Statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 62* FOR 8TH FEBRUARY, 2022

(a) & (b) Health is a State subject. Government of India has maintained data of total cases and deaths as reported by States/UTs on a regular basis. Disaggregated data by profession is required to be maintained by the States. Accordingly, Union Government has requested States/UTs to furnish the requisite details. In response, details from few States/UTs have been received and are submitted at **Annexure I**.

Pradhan Mantri Garib Kalyan Package (PMGKP): Insurance Scheme for Health Workers Fighting COVID-19 was launched on 30th March 2020 to provide comprehensive personal accident cover of Rs. 50 Lakh to 22.12 lakh health care providers including community health workers and private health workers who may have been in direct contact and care of COVID-19 patients and may be at risk of being impacted by this.

Also, private hospital staff/retired/ volunteer/local urban bodies/contract/daily wage/ad-hoc/outsourced staff requisitioned by states/central hospitals/autonomous hospitals of central/states/UTs, AIIMS & Institute of National Importance (INI)/hospitals of Central Ministries specifically drafted for care of COVID-19 patients are also covered under the PMGKP.

The PMGKP Insurance Scheme for Health Workers Fighting COVID-19 was extended from time to time and was last extended was for a period of 180 days w.e.f. 20th October, 2021.

State/UT wise details of compensation paid to the families of deceased health workers under Pradhan Mantri Garib Kalyan Package (PMGKP): Insurance Scheme for Health Workers Fighting COVID-19 scheme till 31st January 2022 is at **Annexure II**

Annexure I

State/UT wise detail of number of COVID-19 deaths among health workers as reported by States/UTs

S. No.	State/UT	COVID-19 deaths among health workers				
		Doctor	Nurses	Ambulance driver	Paramedic	Others
1	Sikkim	-	1	-	-	2
2	Chandigarh	-	-	-	1	3
3	Tripura	-	-	-	3	1
4	Maharashtra	67	19	-	-	141
5	Gujarat	20	20	6	128	-
6	Arunachal Pradesh	-	-	-	4	1

Annexure II

State/UT wise details of compensation paid to the families of deceased health workers under Pradhan Mantri Garib Kalyan Package (PMGKP): Insurance Scheme (data as on 31st January 2022)

S. No.	State/UT	Number of claims paid	Amount of claims paid (In Rs. Crore)
1	Andaman & Nicobar Islands	2	1
2	Andhra Pradesh	160	80
3	Arunachal Pradesh	5	2.5
4	Assam	17	8.5
5	Bihar	93	46.5
6	Chandigarh	1	0.5
7	Chhattisgarh	85	42.5
8	Dadra & Nagar Haveli	0	0
9	Daman & Diu	1	0.5
10	Delhi	56	28
11	Goa	5	2.5
12	Gujarat	139	69.5
13	Haryana	29	14.5
14	Himachal Pradesh	5	2.5
15	Jammu & Kashmir	28	14
16	Jharkhand	15	7.5
17	Karnataka	100	50
18	Kerala	24	12
19	Ladakh	1	0.5
20	Lakshadweep	0	0
21	Madhya Pradesh	74	37
22	Maharashtra	201	100.5
23	Manipur	5	2.5
24	Meghalaya	0	0
25	Mizoram	0	0
26	Nagaland	1	0.5
27	Odisha	22	11
28	Puducherry	22	11
29	Punjab	29	14.5
30	Rajasthan	136	68
31	Sikkim	3	1.5
32	Tamil Nadu	110	55
33	Telangana	83	41.5
34	Tripura	2	1
35	Uttar Pradesh	134	67
36	Uttarakhand	7	3.5
37	West Bengal	21	10.5
Total		**1616**	**808**

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या: 62
08 फरवरी, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

कोविड-19 के कारण स्वास्थ्य कर्मियों की मौत

***62: श्री देरेक ओब्राईनः**

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कोविड-19 के कारण प्रत्येक राज्य में कितने स्वास्थ्य कर्मियों की मौत हुई, इनमें से चिकित्सक, नर्स, एम्बुलेंस चालक, पराचिकित्सक, आदि की अलग-अलग संख्या क्या है; और

(ख) प्रत्येक राज्य में दिवंगत स्वास्थ्य कर्मियों के परिवारों को कितना-कितना मुआवजा दिया गया?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) और (ख): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

08 फरवरी, 2022 के लिए राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 62 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): स्वास्थ्य राज्य का विषय है। भारत सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नियमित आधार पर दी गई रिपोर्ट के अनुसार कुल मामलों और मौतों के आंकड़े रखे हैं। पेशे के अनुसार अलग-अलग आंकड़े राज्यों द्वारा रखने अपेक्षित होते हैं। तदनुसार, केंद्र सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अपेक्षित ब्यौरे भेजने का अनुरोध किया है। जवाब में, कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से ब्यौरे प्राप्त हो गए हैं और **अनुलग्नक-I** में प्रस्तुत किए गए हैं।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी): कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों हेतु बीमा स्कीम 30 मार्च, 2020 को शुरू की गई जिसमें 22.12 लाख स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाताओं को 50 लाख रु. का व्यापक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा प्रदान किया जाता है। इन स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाताओं में वे सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मी और निजी स्वास्थ्य कर्मी भी शामिल हैं जो कोविड-19 रोगियों के सीधे संपर्क में और उनकी देखभाल में रहे हों और इस कारण उनके प्रभावित होने का खतरा हो।

इसके अलावा, पीएमजीकेपी के तहत निजी अस्पताल के स्टाफ/केंद्र/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अस्पतालों/इनके स्वायत अस्पतालों/ एम्स और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों (आईएनआई)/कोविड-19 रोगियों की स्वास्थ्य परिचर्या के लिए विशेष तौर पर तैयार किए गए केंद्रीय मंत्रालयों के अस्पतालों द्वारा मांगे गए सेवानिवृत्त/स्वैच्छिक/स्थानीय शहरी निकाय/संविदागत/दिहाड़ी वाले/तदर्थ/आऊटसोर्स्ड स्टाफ को भी शामिल किया गया है।

कोविड-19 के विरुद्ध लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए पीएमजीकेपी बीमा स्कीम का विस्तार समय-समय पर किया गया और पिछली बार इसका विस्तार 20 अक्टूबर, 2021 से 180 दिनों की अवधि के लिए किया गया।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी): कोविड-19 के विरुद्ध लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा स्कीम के तहत मृत स्वास्थ्य कर्मियों के परिवारों को 31 जनवरी, 2022 तक दी गई क्षतिपूर्ति राशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

अनुलग्नक- I

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य कर्मियों में कोविड-19 से जुड़ी मौतों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वास्थ्य कर्मियों में कोविड-19 से जुड़ी मौतें				
		डॉक्टर	नर्सें	एम्बुलेंस ड्राइवर	पैरामेडिक	अन्य
1	सिक्किम	-	1	-	-	2
2	चंडीगढ़	-	-	-	1	3
3	त्रिपुरा	-	-	-	3	1
4	महाराष्ट्र	67	19	-	-	141
5	गुजरात	20	20	6	128	-
6	अरूणाचल प्रदेश	-	-	-	4	1

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी): कोविड-19 के विरुद्ध लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा स्कीम के तहत मृत स्वास्थ्य कर्मियों के परिवारों को 31 जनवरी, 2022 तक दी गई क्षतिपूर्ति राशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	भुगतान किए गए दावों की संख्या	भुगतान किए गए दावों की राशि (करोड़ रु. में)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2	1
2	आंध्र प्रदेश	160	80
3	अरुणाचल प्रदेश	5	2.5
4	असम	17	8.5
5	बिहार	93	46.5
6	चंडीगढ़	1	0.5
7	छत्तीसगढ	85	42.5
8	दादरा और नगर हवेली	0	0
9	दमन और दीव	1	0.5
10	दिल्ली	56	28
11	गोवा	5	2.5
12	गुजरात	139	69.5
13	हरियाणा	29	14.5
14	हिमाचल प्रदेश	5	2.5
15	जम्मू और कश्मीर	28	14
16	झारखंड	15	7.5
17	कर्नाटक	100	50
18	केरल	24	12
19	लद्दाख	1	0.5
20	लक्षद्वीप	0	0
21	मध्य प्रदेश	74	37
22	महाराष्ट्र	201	100.5
23	मणिपुर	5	2.5
24	मेघालय	0	0
25	मिजोरम	0	0
26	नगालैंड	1	0.5
27	उड़ीसा	22	11
28	पुदुच्चेरी	22	11
29	पंजाब	29	14.5
30	राजस्थान	136	68
31	सिक्किम	3	1.5
32	तमिलनाडु	110	55
33	तेलंगाना	83	41.5
34	त्रिपुरा	2	1
35	उत्तर प्रदेश	134	67
36	उत्तराखंड	7	3.5
37	पश्चिम बंगाल	21	10.5
कुल		**1616**	**808**

DR. M. THAMBIDURAI: Mr. Deputy Chairman, Sir, the Minister has replied about the compensation paid and help given to the workers who are involved in Covid situation. We have to salute the doctors and nurses who sacrificed their lives to save the people. The Minister in his reply, has said, "Pradhan Mantri Garib Kalyan Package (PMGKP): Insurance Scheme for Health Workers Fighting Covid-19 was launched on 30th March, 2020 to provide comprehensive personal accident cover of Rs. 50 lakhs to 22.12 lakh health care providers including community health workers and private health workers." Sir, under Tamil Nadu, it is mentioned, 110 claims were paid, and were given Rs. 55 crores. I am requesting you. This is a very serious thing. Would the Minister consider to enhance the fund to give the doctors, nurses and others who are involved in saving the lives of Covid patients.

डा.मनसुख मांडविया : माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से देश के हेल्थ कर्मियों का अभिनन्दन करना चाहता हूं, जिन्होंने COVID Crises के first, second and third, तीनों surge में बहुत अच्छी तरह से काम किया। हमने दुनिया के अन्य देशों में यह देखा कि जब COVID peak पर था, तो सभी डॉक्टर्स अपने-अपने हॉस्पिटल्स छोड़ कर चले गए थे, लेकिन हिन्दुस्तान में ऐसा नहीं हुआ। हमारे डॉक्टर्स ने रात-दिन अपनी ड्यूटी की, and not only Doctors, सभी health workers की मेहनत की वजह से हमारा देश COVID crises का successfully सामना कर सका। सरकार ने भी इस समय में अपना पूरा effort लगाया। जब 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज' को declare किया गया, उस समय, हमारे जो health workers और front liners देश के लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं, उनको 50 लाख का बीमा कवर भी दिया गया। आज तक उसको समय-समय पर एक्सटेंड करते गये, लास्ट में अक्टूबर, 2021 तक उसे एक्सटेंड किया गया और देश में कुल मिलाकर 1,616 हेल्थ कर्मियों को कम्पनसेशन दिया गया, बीमा के तहत सहायता दी गई। इस सहायता के अनुसार 808 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है और वह राशि 50 लाख की मर्यादा में है।

SHRI K.C. VENUGOPAL: Thank you Mr. Deputy Chairman, Sir, I am also saluting the health workers who worked very hard and lost their lives during COVID pandemic. But, hon. Deputy Chairman, it is very unfortunate that the Government of India still don't have exact statistics of how many health workers died due to COVID. The answer is very clear that the Government does not have figures. We had asked this question fifteen days before. But, even then, the Government is saying that it does not have statistics.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You ask your supplementary.

SHRI K.C. VENUGOPAL: Sir, I am coming to the point. I had also asked a question during the last Session that how many people died due to oxygen shortage. The reply was, 'No person died due to oxygen shortage.' ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Venugopalji, just now I told you to ask your supplementary. ...*(Interruptions)*...

SHRI K.C. VENUGOPAL: Sir, it is, actually, a misleading statement. ...*(Interruptions)*...Sir, please allow me. This is one of the important questions.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am allowing you. ...*(Interruptions)*...

SHRI K.C. VENUGOPAL: My question is: How many people have been given compensation so far in the country who have died due to COVID?

डा. मनसुख मांडविया: उपसभापति महोदय, इसमें कोई irritate होने का विषय नहीं है। भारत सरकार बहुत क्लियर है और चूंकि हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए उसका सारा डेटा स्टेट्स कलेक्ट करती हैं, सेन्टर अगर डेटा मांगता है, तो सेन्टर को देते हैं। सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने सभी विषयों पर डैश बोर्ड बनाया और राज्य सरकारें उसमें समय-समय पर डेटा सब्मिट करती हैं।

श्री उपसभापति : प्लीज़, सीट पर बैठकर कमेन्ट्स न करें।

डा. मनसुख मांडविया : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, उसका मैं परफेक्ट रिप्लाई करना चाहता हूं। डब्ल्यूएचओ ने गाइडलाइंस दी थीं कि कैसे डैथ्स का डेटा आपको कलेक्ट करना है, उसके लिए भारत सरकार ने एक प्लेटफॉर्म बनाया और सभी राज्य सरकारों को कहा कि आपके यहां कोविड-19 से जिनकी डैथ्स हों, उनका डेटा उसमें सब्मिट करना है। सभी राज्य सरकारों ने, कोविड-19 से 5, लाख 33 हजार डेथ्स हुई हैं, आज तक ऐसा डेटा सब्मिट किया है, वह डेटा सार्वजनिक है, उसमें कोई छिपाने की बात नहीं है, कोई irritate होने की बात नहीं है। उसके बाद फिर भारत सरकार ने कहा कि आप यदि उसमें डेटा डालना चूक गये हो, तो आप रीकन्साइल कर सकते हो, तो कई राज्यों ने रीकन्साइल भी किया है और केरल हर दिन रीकन्साइल कर रहा है, अभी तक बीस हज़ार से अधिक रीकन्साइल कर दिया है। हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राज्य सरकारें जो भी फिगर्स देंगीं, वे फिगर्स हम यहां बताते हैं, उसमें छिपाने की कोई बात नहीं है। माननीय सदस्य यदि हमसे और भी इन्फॉर्मेशन मांगेंगे तो हमारे पास जो भी इन्फॉर्मेशन राज्यों ने दी है, वह हम आपको उपलब्ध करायेंगे।

SHRI K.J. ALPHONS: Sir, the Government of India has been extremely prompt in paying compensation to the tune of Rs. 880 crores to 1,616 people.

Sir, some hospitals are not cooperating. They don't want to issue certificate under the prescribed format, because they wanted to suppress information that somebody from their hospital died. I can produce details.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please put your question, Mr. Alphons. I have told you several times.

SHRI K.J. ALPHONS: So, I would like to know what action the Government will take against hospitals which are refusing to issue certificate in the prescribed format and what action will be taken by the Government against those hospitals which refuse to report these cases.

डा. मनसुख मांडविया : महोदय, यदि किसी अस्पताल ने अपने सब आंकड़े डिक्लेयर नहीं किये हों, तो वह स्टेट गवर्नमेन्ट देखती है और कम्पाइल करके राज्य सरकार हमारे पास इन्फॉर्मेशन भेजती है। मैं अपेक्षा रखता हूं कि राज्य सरकार भी फिर से एडवाइज़री डिक्लेयर करे और हम भी यहां से एडवाइज़री डिक्लेयर करके, सभी अस्पताल अपना डेटा सबमिट करें, ऐसा आग्रह करेंगे।

श्री उपसभापति : प्रश्न संख्या 63.